1x660 मेवा. इकाई क्रमांक -12, विद्युत गृह 5, सतपुडा ताप वि. गृह, सारणी, जिला बैतूल

i. **<u>प्रशासकीय स्वीकृति</u>**- म.प्र.शासन द्वारा पत्र दिनांक 24.07.2012 के माध्यम से सतपुड़ा ताप विद्युत गृह क्रं.1 (5x62.5 मेगावाट) की इकाइयों की सेवानिवृति उपरांत उपलब्ध स्थल पर 1x660 मेगावॉट क्षमता की परियोजना की स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। म.प्र. शासन से पुनरीक्षित लागत पर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु; प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को माह अक्टूबर-24 में प्रस्तुत किया गया है तदनुसार, परियोजना का वित्त पोषण निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

पुनरीक्षित परियोजना लागत	- रू 8299.76 करोड़
ऋण (80%)	- रू 6639.81 करोड़
राज्य शासन अंशपूँजी (15%)	- रू 1244.96 करोड़
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से (5%)	- रू 414.99 करोड़

ii. **<u>पर्यावरणीय स्वीकृति-</u>** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 21.11.2023 को परियोजना स्थापना हेतु पर्यावणीय स्वीकृति प्रदान की है ।

iii. **<u>जल उपलब्धता</u>**- उक्त नवीन इकाई हेतु जल संसाधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 07.03.2020 को जल आवंटन प्रदान किया गया, तत्पश्चात् दिनांक 05.01.2024 को जल आपूर्ति अनुबंध निष्पादित किया गया है ।

iv. **<u>कोयले की उपलब्धता-</u>** कोल इंडिया लिमिटेड ने परियोजना की कोल आपूर्ति हेतु एन.सी.एल. से 1.224 MTPA एवं एस.ई.सी.एल. से 1.412 MTPA का कोल लिंकेज आवंटित किया है । तदोपरांत एन.सी.एल. एवं एस.ई.सी.एल. द्वारा आवंटित कोल हेतु LoA जारी कर दिये गये है ।

v. **<u>भूमि अधिग्रहण-</u>** परियोजना की स्थापना, विद्युत गृह क्रं.1(5X62.5 मेगावाट) की इकाइयों की सेवानिवृति के उपरांत उपलब्ध रिक्त स्थान पर होना है। अत: भूमि उपलब्ध है।

vi. **<u>निविदा की वर्तमान स्थिति-</u>** ई.पी.सी. कांट्रेक्टर की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, कार्यादेश शीघ्र प्रसारित किया जाना संभावित है ।

vii. **<u>पी.पी.ए.-</u>** परियोजना से विद्युत क्रय हेतु पी.पी.ए. निष्पादन के लिए ऊर्जा विभाग ने दिनांक 31.05.2024 को म.प्र.पॉ.मेनेजमेंट कं.लि. को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है।

viii. **<u>शासन से अंशपूंजी</u>** - वित्तीय वर्ष 2024-25 तक रू. 108.53 करोड़ की अंशपूंजी आवंटित की गयी है जिसमे से रु. 43.85 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

ix. **<u>वित्तीय संस्थानों से ऋण</u>**- परियोजना हेतु मेसर्स पी.एफ.सी. - नई दिल्ली एवं आर.ई.सी. - भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से रु. 7967.77 करोड़ की ऋण राशि (20% कोस्ट ओवर रन सहित) स्वीकृत की गई । स्वीकृत ऋण राशि पी.एफ.सी. एवं आर.ई.सी. के मध्य 50:50 के अनुपात में साझा की जावेगी।

x. **<u>वाणिज्यिक उत्पादन-</u>** प्रस्तावित इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन वित्तीय वर्ष 2030-31 में संभावित है ।